



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230023
CG-DL-E-29092021-230023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा.-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात्, सम्बंधित स्तंभों में निम्न लिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	केंद्रीय खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	पोस्टिंग का स्थान	अधिकार क्षेत्र
18.	श्री जक्कानी सैतेजा	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
19.	श्री विबिनदास के एस		
20.	श्री अरविन्द सूर्यकान्त भंडारे		

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./280/2021-22]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासंमाप्रा., तारीख 2 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Central Food Safety Officers for the area mentioned against each with effect from the date of publication in this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 2nd September, 2021:-

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of CFSOs	Place of Posting	Area of Jurisdiction
18.	Mr. Jakkani Saiteja	Eastern Region	States/UTs under Eastern Region
19.	Mr. Bibindas K S		
20.	Mr. Arvind Suryakant Bhandare		

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./280/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated the 2nd September, 2021.